राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटे
(भारत सरकार का उ - मिनिरत्न व
बीज भवन, पूसा परिस
नई दिल्ल -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jkt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsf@gmail.com

क्रमांकः – सर./कृषि/20/13–14–750 दिनांकः – 14.01.2015

vYidkyhu fufonk@[kqyh cksyh

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला– श्री गंगानगर (राज.) में रबी 2014–2015 में बोई गई बरसीम 29.0 एकड की प्रथम व द्वितीय कटाई करने हेतु सीलबंन्द निविदायें/खुली बोली दिनांक 20.01.2015 को सांय 3.00 बजे तक आमत्रित की जाती है जो कि उसी दिन सांय 3.30 बजे कमेटी द्वारा खोली जायेगी। यदि उपरोक्त दिनॉक को आमंत्रित निविदाऐ निरस्त होने पर पुनः निविदाऐ दिनॉक 27.01.2015 को पूर्व निर्धारित नियम एवं षर्तो के अनुसार ली जायेगी । धरोहर राशि रूपये 10,000/– मात्र का डी.डी. जो कि jk"Vªh; cht fuxe fyfeVsM] ljnkjx< के नाम स lsjrx< में देय हो, जमा करवानी होगी। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व षर्त निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। यदि निविदा वेबसाइड से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राषि के अतिरिक्त निविदा षुल्क रु.200/– का ड्राफ्ट देना होगा। सफल बोलीदाता को छोडी गई फसल की बोली की 50 प्रतिषत रकम उसी समय या अगले कार्य दिवस में जमा करानी होगी व बाकी 50 प्रतिषत रकम प्रथम कटाई से पहले जमा करानी होगी, तथा असफल बोलीदाता की राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी जिस पर कोई भी ब्याज देय नही होग। बोलीदाता/निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राषनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी व खुली बोली में भाग लेने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होगे।

ukV% & vijkgu 3-00 cts ds ckn dksbZ V.Mj QkeZ ugh fn;k tk;xk o 3-30 cts ds ckn dksbZ Hkh V.Mj QkeZ Lohdkj ugh fd;k tk;xkA cSd [kkrk lq[;k o **IFSC** dkM Hkh iLrqr djuk gksxkA

çc/kd ¼mRiknu½
Ñrs vfr-egkçc/kd ¼Qke½

<u>केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ (राज.)</u>

<u>बरसीम काटने के लिए नियम व शर्तें</u>

1. निविदा में भाग लेने से पूर्व निविदादाताओं को धरोहर राशि के रूप में रुपये 10,000/– मात्र का डीडी जो कि jk"Vªh; cht fuxe fyfeVsM] lwjrx< के नाम स s lwjrx< esa देय हो, जमा कराना होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के पश्चात् बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।
2. निविदाएं सायं 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि निविदादाताओं के समक्ष सायं 3.30 बजे खोली जायेंगी।
3. दर प्रति एकड के आधार पर देनी होगी।
4. बरसीम की पहली कटाई 31.01.15 व दूसरी कटाई 25.02.15 तक पूरी करनी होगी।
5. बरसीम की कटाई ठेकेदार को अपने श्रमिकों से करानी होगी तथा अपने साधन से बरसीम ले जानी होगी।
6. ठेकेदार द्वारा फार्म की किसी भी फसल व फार्म की अन्य सम्पति का नुकसान नहीं करेगा। यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार से कर ली जायेगी।
7. कटाई की 50 प्रतिशत रकम स्वीकृति के समय ही जमा करानी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि प्रथम कटाई शुरू करने से पहले जमा करानी होगी।
8. कटाई का कार्य सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे के बीच में करना होगा।
9. कटाई की गई बरसीम का सम्बन्धित चक इन्चार्ज द्वारा गेट पास जारी कराकर ले जाया जाएगा।
10. बरसीम कटाई व ढुलाई के समय यदि ठेकेदार के किसी श्रमिक के साथ दुर्घटना होती है तो उसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. ठेकेदार को ठेके को आगे सबलेट करने का अधिकार नही ंहोगा।
12. ठेकेदार द्वारा ठेका लेने के पश्चात कार्य अधूरा छोडनें पर ठेकेदार के द्वारा जमा की गई अमानतराषि व उसके द्वारा जमा की गई राषि को फार्म द्वारा जब्त कर लिया जायेगा। इसके बाद यदि फार्म द्वारा अपने स्तर पर कार्य करवानें की दिषा में खर्चा अधिक आने पर अधिक खर्च का वहन पूर्व ठेकेदार से वसूला जायेगा।
13. कार्य स्वीकृत होने के बाद ठेकेदार 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर सभी शर्तो ंको वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्ते मान्य है तथा इसके अनुसार ही कार्य करूगां। तभी ठेकेदार माल ले जा सकेगा।

<u>&%vkfcZVs'ku%&</u>

यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दषा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक को सन्दर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा। स्वयं में अथवा अपने द्वारानामित एकल विवेचक (सोल आर्बिटेट्र) के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिटेशन एवम् कोन्सिएलेशन एक्ट 1996 के प्रावधानो के अन्तगर्त कराएं/पक्षकरान पर यह बाध्य कारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहल`आर्बिटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।

çca/kd ¼mRiknu½
Ñr s vfr-egkçca/kd ¼Qke Z½

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राजस्थान)

V.Mj Qkel

fnukd%&20-01-2015
dekd&-------------------

मैं आपके फार्म रबी 2014–2015 में बोई गई बरसीम 29.0 एकड की प्रथम व द्वितीय कटाई का ठेका लेना चाहता हूॅ और मुझे फार्म द्वारा इस ठेके के लिए निर्धारित नियम एवं शर्ते मंजूर है।

खण्ड	चक	बोई गई बरसीम का क्षेत्रफल	प्रथम व द्वितीय कटाई की दर प्रति एकड रूपये में (अंको व शब्दों में लिखे)
5	47 A/49A	29.0 एकड़	

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि हम/हमारी फर्म निविदा की नियमों व शर्तो से सहमत है, जो कि मैंने स्वयं पढ ली हैं तथा समझ ली हैं। मेरी पूर्ण सहमति है इसलिए हस्ताक्षर कर निविदा प्रेषित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम ....

पूरा पता ....

....

....

फोन नं. ....

पान न0..